



2026:AHC:58996

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2337 वर्ष 2026

श्रीमती संगीता देवी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : आशीष यादव, रोहित कुशवाहा,
शरद चन्द्र श्रीवास्तव

विपक्षीगण के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शरद चन्द्र त्रिपाठी, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राधेश्याम को सुना गया तथा अभिलेख का परिशोधन किया गया।

2. वर्तमान प्रार्थना-पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 241 सन् 2025, धाराएं 380, 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 आई.पी.सी., थाना सिविल लाइन्स, जनपद प्रयागराज में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। आगे यह भी कहा गया है कि अन्वेषण के दौरान सह-अभियुक्त जैकी कुमार संसी, जिसे विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है, के स्वीकारोक्तिपरक कथन में आवेदक का नाम प्रकाश में आया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का आश्वासन देती है और अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया कि यदि "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक का नाम प्राथमिकी में उल्लिखित नहीं था और उसका नाम सह-अभियुक्त जैकी कुमार संसी के स्वीकारोक्तिपरक कथन में प्रकाश में आया है। यह आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक ऐसा बैग चोरी कर लिया गया, जिसमें नकद धनराशि, आभूषण, मोबाइल तथा घर की चाबियाँ थीं। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेखनीय है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से पलायन की संभावना तथा अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थिर सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त संबंध तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. आवेदक - श्रीमती संगीता देवी की गिरफ्तारी की दशा में, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभुओं पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी तथा न्यायालय संबंधित द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगी और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु उपयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026
वीरेन्द्र

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"